

- अनुमति की शर्तें ।**
- (i) लघु भवन / मुख्य के निर्माण की स्वीकृति स्वतंत्र सिद्ध नहीं करती है ।
 - (ii) किसी भी प्रकार का विवाद स्थानिक, राजकीय व्यवसाय में प्रत्येक होने की स्थिति में निर्माण का कोई तत्परतापूर्वक नहीं होगा तथा न ही निर्माण किसी भी प्रकार के लिए उत्तरदायी होगा ।
 - (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आवेदन निर्माण को सुचित करेगा ।
 - (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण कार्य होने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल श्रेणी केवल आवासीय भूखण्ड

नगर निगम, जोधपुर

भवन क्रमांक 867 दिनांक 25/01/2021
 आवासीय श्रेणी का विस्तार 1000 स्क्वा मी. विस्तार
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से. 205-67-ए पुष्पाय नगर विस्तार
 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण की शर्तों
 के अन्तर्गत शर्तों के अन्तर्गत 10000/- रुपये
 जसिये रसीद संख्या 9063/631-632
 दिनांक 25/01/2021 को जमा करा दी है ।

जी. आवासीय

25/01/2021

सहायक नगर नियोजक
 नगर निगम, जोधपुर

Received



1/2/2021

2014054122